I/43548/2023

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Integrated Regional Office, Chandigarh

प्रकृतिः रक्षति रक्षिता
Nature Protects if She is Protected

मिसिल संख्या -: 9-PBB457/2021-CHA **दिनांक : -05-2023**

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
पंजाब सरकार, लघु सचिवालय,
सेक्टर-9, चण्डीगढ ।
(fcf@punjab.gov.in)

विषयः- **Diversion of 0.0987 ha of forest land in favour of Bharat Petroleum Corporation Limited for construction of approach road for proposed retail outlet of Bharat Petroleum Corporation Limited at village Muchhal, Khasra No. 95//19/2/1, 95//22/2, CH. 428.285 R/side, NH-01 (New NH-03) on Jalandhar-Amritsar road, Tehsil baba Bakala, under forest division and District Amritsar, Punjab. (Online Proposal No. FP/PB/Approach/119052/2021)**

संदर्भ (i) State Government online proposal received on dated 25.10.2021.
(ii)अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक व नोडल अधिकारी के पत्र संख्या FOREST- FCA0FC5A/42/2021-FCA दिनांक 09.05.2023.

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त प्रस्ताव की और दिलाने का निर्देश हुआ है, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई है | इस प्रस्ताव में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक **29.10.2021 द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति** प्रदान की गई थ, जिसकी अनुपालना रिपोर्ट अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक व नोडल अधिकारी के पत्र संख्या FOREST- FCA0FC5A/42/2021- FCA दिनांक 09.05.2023 (E-mail) द्वारा प्राप्त होने के उपरान्त केन्द्र सरकार द्वारा उपर्युक्त उद्देश्य हेतु **0.0987** हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग हेतु **विधिवत स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है:-

i. वन भूमि की विधिक स्थिति बदली नहीं जाएगी ।

ii. काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुचाया जाएगा|

iii. प्रतिपूर्ति पौधारोपण राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार Bhurewal Minor 0 to tail B/side, Anayatpura & Gurala, Tehsil Ajnala, Amritsar, में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त धनराशि से किया जायेगा|

iv. अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित एसीए योजना के अनुसार Bhurewal Minor 0 to tail B/side, Anayatpura & Gurala, Tehsil Ajnala, Amritsar, में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त धनराशि से किया जायेगा|

v. **प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए ।**

vi. CEO, State CAMPA, इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित सीए योजना के अनुसार CA वृक्षारोपण के लिए DFO को CAMPA Scheme के तहत धनराशि जारी करना सुनिश्चित करेगें।

vii. DFO अनुमोदित CA Sites पर वृक्षारोपण करना सुनिश्चित करेगा और MoEF&CC की अनुमति प्राप्त किए बिना अनुमोदित को नहीं बदलेगें।

viii. **राज्य सरकार प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि को गैर वानिकी कार्यो के लिए हस्तानान्तरण से पूर्व स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण (CA) क्षेत्र की KML फाइल को भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) के E-Green Watch पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगी ।**

ix. यह अनुमति 15 वर्षों के लिए वैध होगी, इसके उपरान्त पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी |

बेज नं. 24-25, सेक्टर-31 ए, चंडीगढ़-160030 / **Bays No.** 24-25, **Sector**-31 A**, Chandigarh**-160030
दूरभाष/**Tel No :** 0172-2638061 **Fax No :** 0172-2638135 **Email :** ronz.chd-mef@nic.in

x. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।

xi. जब कभी भी NPV की राशि बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी |

xii. पेट्रोल पम्प की पूरी परिधि (Periphery) पर दिवार से 1.5 मीटर जगह छोड़कर 1.0 से 1.5 मीटर के अन्तराल पर Light crown पेड़ों का वृक्षारोपण किया जाये ।

xiii. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पंहुच मार्ग (Entry/Exit Or Deceleration/Acceleration) व विभाजक द्वीप (Separator Island) पर भी पौधारोपण किया जायेगा तथा इस विभाजक द्वीप का कोई भी व्यापारिक उपयोग नहीं किया जायेगा |

xiv. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पंहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे|

xv. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |

xvi. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |

xvii. कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा |

xviii. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतू समय – समय पर लगाई जा सकती है |

xix. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी|

xx. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019, MoEF&CC.

xxi. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

2. मंत्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है । ***राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी ।***

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी की जा रही है |

भवदीय,
हस्ता/
(राजा राम सिंह)
उप-वन- महानिदेशक
IRO, MoEF&CC

Signed by Raja Ram Singh
Date: 18-05-2023 19:31:57

प्रतिलिपि:-

1. वन महानिरीक्षक (ROHQ), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग़, अलीगंज, नई दिल्ली ।(ramesh.pandey@nic.in)
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पंजाब, फोरेस्ट कॉम्पलैक्स, सै०-68, एस० ए० एस० नगर, मोहाली, पंजाब| (pccfpunjab @gmail.com)
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CAMPA, फारेस्ट कॉम्प्लेक्स, सै०-68, एस० ए० एस० नगर, मोहाली, पंजाब (ceo.puncampa@gmail.com)
4. वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल और जिला अमृतसर, पंजाब| (dfoamritsar@rediffmail.com).
5. BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED, SUCHPIND, JALANDHAR, (bpcljalandhar21@gmail.com)

बेज नं. 24-25, सेक्टर-31 ए, चंडीगढ़-160030 / **Bays No.** 24-25, **Sector**-31 A**, Chandigarh**-160030
दूरभाष/**Tel No :** 0172-2638061 **Fax No :** 0172-2638135 **Email :** ronz.chd-mef@nic.in